लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध

क.—प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

3. प्रवेशन लैंगिक हमला ।

4. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड ।

ख.—गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

5. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला ।

6. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड ।

ग.—लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

7. लैंगिक हमला ।

8. लैंगिक हमले के लिए दंड ।

घ.—गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. गुरुतर लैंगिक हमला ।

10. गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड ।

ङ.—लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. लैंगिक उत्पीड़न ।

12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड ।

अध्याय 3

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

13. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग ।

14. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड ।

15. बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड ।

अध्याय 4

किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न

16. किसी अपराध का दुष्प्रेरण ।

17. दुष्प्रेरण के लिए दंड ।

धाराएं

18. किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड ।

अध्याय 5

मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया

19. अपराधों की रिपोर्ट करना ।

20. मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता ।

21. मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड ।

22. मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड ।

23. मीडिया के लिए प्रक्रिया ।

अध्याय 6

बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया

24. बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना ।

25. मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन ।

26. अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध ।

27. बालक की चिकित्सीय परीक्षा ।

अध्याय 7

विशेष न्यायालय

28. विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना ।

29. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा ।

30. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा ।

31. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना ।

32. विशेष लोक अभियोजक ।

अध्याय 8

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन

33. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां ।

34. बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया ।

35. बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि ।

36. साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना ।

37. विचारण का बंद कमरे में संचालन ।

38. बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिए या विशेषज्ञ की सहायता लेना ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

39. विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश ।

40. विधिक काउन्सेल की सहायता लेने का बालक का अधिकार ।

41. कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना ।

धाराएं

42. आनुकल्पिक दंड ।

42क. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना ।

43. अधिनियम के बारे में लोक जागरुकता ।

44. अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी ।

45. नियम बनाने की शक्ति ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 32)

[19 जून, 2012]

लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3), अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत किया है;

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए;

यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए;

बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है,—

(क) किसी विधिविरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य विधिविरुद्ध लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं, और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है;

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है ।

(2) इसका विस्तार [1]*** संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 5 में है;

(ख) "गुरुतर लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 9 में है;

(ग) "सशस्त्र बल या सुरक्षा बल" से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है;

(घ) "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है;

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31.10.2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

[1][(घक) "बालक संबंधी अश्लील सामग्री" से किसी बालक को संलिप्त करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित ऐसी आकृति, जो वास्तविक बालक के समान लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किन्तु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है;]

(ङ) "घरेलू संबंध" का वह अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 2 के खण्ड (च) में है;

(च) "प्रवेशन लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 3 में है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "धार्मिक संस्था" का वह अर्थ होगा जो धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 का 41) में है;

(झ) "लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो धारा 7 में है;

(ञ) "लैंगिक उत्पीड़न" का वही अर्थ है जो धारा 11 में है;

(ट) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है;

(ठ) "विशेष न्यायालय" से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड) "विशेष लोक अभियोजक" से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता (1860 का 45), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), [2][किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)] और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध

क.—प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

3. प्रवेशन लैंगिक हमला—कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह—

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है ।

4. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड—[3][(1)]जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि [4][दस वर्ष] से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

[5][(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा ।"]

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (16.08.2019 से) अंत:स्थापित ।

[2] 2019 के अधिनिमय सं० 25 की धारा 2 द्वारा (16.08.2019 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2019 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा (16-08-2019 से) धारा 4 को उसकी धारा 4(1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[4] 2019 के अधिनिमय सं० 19 की धारा 3 द्वारा (16.08.2019 से) "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 2019 के अधिनियम सं० 19 की धारा 3 द्वारा (16.08.2019 से) अंत:स्थापित ।

ख.—गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

5. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला—(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर—

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,—

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां उक्त व्यक्ति, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,—

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; [1]***

(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;

(iii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा; [1]***

[2][(iv) बालक की मृत्यु हो जाती है; या]

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा (16.08.2019 से) "या" शब्द का लोप किया गया ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा (16.08.2019 से) अंत:स्थापित ।

(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के मात-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या

(ध) जो कोई, [1][सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान] बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है;

(न) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।

[2]**[6. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड**—(1) जो कोई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा ।]

ग.—लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

7. लैंगिक हमला—जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।

8. लैंगिक हमले के लिए दंड—जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

घ.—गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. गुरुतर लैंगिक हमला—(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर—

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,—

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या

(ii) सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा (16.08.2019 से) "सामुदायिक या पंथिक हिंसा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा (16.08.2019 से) प्रतिस्थापित ।

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थान्तर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे—

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या

(ii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा; या

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ठ) जो कोई, बालक पर एक से अधिक बार या बार-बार लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ढ) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के मात-पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या

(ध) जो कोई, [1][सांप्रदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति या उस प्रकार की किन्हीं भी स्थितियों के दौरान] बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (16.08.2019 से) "सामुदायिक या पंथिक हिंसा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(न) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

[1][(फ) जो कोई इस आशय से कि कोई बालक शीघ्र लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करे, किसी बालक को कोई ओषधि, हार्मोन या कोई रासायनिक पदार्थ लिए जाने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, फुसलाता है या प्रपीड़ित करता है या देता है या देने के लिए किसी को निदेश देता है या लिए जाने में सहायता करता है;]

वह गुरुतर लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है ।

10. गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड—जो कोई, गुरुतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

ङ.—लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. लैंगिक उत्पीड़न—कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यहा कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से—

(i) कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या

(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;

(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या

(vi) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है ।

स्पष्टीकरण—कोई प्रश्न, जिसमें "लैंगिक आशय" अंतर्वलित हैं, तथ्य का प्रश्न होगा ।

12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड—जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अध्याय 3

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

13. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग—जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित हैं) किसी प्ररूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;

(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;

(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना,

वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (16.08.2019 से) अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किसी बालक का उपयोग" पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन, सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना सम्मिलित है।

[1]**[14. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड**—(1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा (1) में उपबंधित दंड के अतिरिक्त क्रमश: धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के अधीन भी दंडित किया जाएगा।]

[2]**[15. बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड**—(1) कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील सामग्री को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल रहता है, वह पांच हजार रूपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।]

अध्याय 4

किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न

16. किसी अपराध का दुष्प्रेरण—कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो—

पहला—उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा—उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा—उस अपराध के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1—कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्त्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2—जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 3—जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरुपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता है, यह कहा जाता है।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (16.08.2019 से) धारा14 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 8 द्वारा (16.08.2019 से) धारा 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

17. दुष्प्रेरण के लिए दंड—जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है ।

स्पष्टीकरण—कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है ।

18. किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंड—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

अध्याय 5

मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया

19. अपराधों की रिपोर्ट करना—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है) जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा :—

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट; या

(ख) स्थानीय पुलिस ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में—

(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी;

(ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी;

(ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा (2) के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तुओं को समझ सके ।

(4) यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जब कभी आवश्यक समझा जाए, उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) रखने की तुरन्त व्यवस्था करेगी ।

(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं ।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा ।

20. मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता—मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम से, जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है), यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा ।

21. मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे ।

22. मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्दापित करने या धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(2) जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।

(3) जो कोई, बालक नहीं होते हुए, किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

23. मीडिया के लिए प्रक्रिया—(1) कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो ।

(2) किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं, जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी :

परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन, बालक के हित में है ।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा ।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किए जाने के लिए दायी होगा ।

अध्याय 6

बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया

24. बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना—(1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा ।

(3) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए ।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

(5) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो ।

25. मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन—(1) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा :

परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के प्रथम पंरतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, बालक और उसके माता-पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, प्रदान करेगा ।

26. अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध—(1) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता-पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा ।

(2) जहां आवश्यक है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिए की, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, सहायता ले सकेगा ।

(3) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा ।

(4) जहां संभव है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए ।

27. बालक की चिकित्सीय परीक्षा—(1) उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164क के अनुसार की जाएगी ।

(2) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी ।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो ।

(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता-पिता या अन्य व्यक्ति, बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय परीक्षा, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी ।

अध्याय 7

विशेष न्यायालय

28. विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना—(1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए, अभिहित करेगी :

परन्तु यदि किसी सेशन न्यायालय को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को, बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का [उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67ख के अधीन अपराधों का, जहां तक कि वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित हैं, या बालकों का आन-लाईन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता होगी ।

29. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा—जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है ।

30. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है ।

31. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध (जमानत और बंधपत्र विषयक उपबंधों सहित) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को, लोक अभियोजक समझा जाएगा ।

32. विशेष लोक अभियोजक—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की, नियुक्ति करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो ।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तद्नुसार प्रभावी होंगे ।

अध्याय 8

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन

33. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां—(1) कोई विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, ले सकेगा ।

(2) यथास्थिति, विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसेल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, या पुन: परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा ।

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझे, विचारण के दौरान बालक के लिए बार-बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा ।

(4) विशेष न्यायालय, बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की, जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा ।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाए ।

(6) विशेष न्यायालय, विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए ।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए :

परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान में, बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्मिलित होंगे ।

(8) समुचित मामलों में विशेष न्यायालय, दंड के अतिरिक्त, बालक को कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय का निदेश दे सकेगा जो विहित किया जाए ।

(9) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण ऐसे करेगा, मानो वह सेशन न्यायालय हो, और यथाशक्य सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

34. बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी बालक द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे बालक पर [1][किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)] के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 9 द्वारा (16.08.2019 से) "किशोर न्याया (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) " शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चात्वर्ती सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी ।

35. बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि—(1) बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण, यदि कोई हों, विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे ।

(2) विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा ।

36. साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना—(1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जब कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, बालक का कथन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा ।

37. विचारण का बंद कमरे में संचालन—विशेष न्यायालय, मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है :

परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, वहां वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 284 के उपबंधों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा ।

38. बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिए या विशेषज्ञ की सहायता लेना—(1) जब कभी आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषिए, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा ।

(2) यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है तो विशेष न्यायालय, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

39. विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश—राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी ।

40. विधिक काउन्सेल की सहायता लेने का बालक का अधिकार—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 301 के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पंसद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगें :

परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक का काउंसेल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा ।

41. कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना—धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता-पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों ।

[1][**42. आनुकल्पिक दंड**—जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, [2][धारा 376क,

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 22 की धारा 25 द्वारा (21.4.2018 से) "धारा 376क, 376ग, 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक,] 376घख, [1][376ङ, धारा 509 के अधीन या सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 67ख के अधीन] भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है ।

42क. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा ।]

43. अधिनियम के बारे में लोक जागरुकता—केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगी कि—

(क) साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरुक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों (जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी भी हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

44. अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी—(1) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरी ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, करेंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन निहित की गई हैं ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे ।

45. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

[2][(क) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी बालक को संलिप्त करने वाली किसी भी रूप में की अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की रीति;

(कक) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किसी बालक को संलिप्त करने वाली किसी भी रूप में की अश्लील सामग्री के बारे में रिपोर्ट करने की रीति;]

[3][(कख)] धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (3) तथा धारा 38 के अधीन किसी अनुवादक या दुभाषिए, किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अर्हताएं और अनुभव तथा संदेय फीस;

(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सीय उपचार;

(ग) धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन प्रतिकर का संदाय;

(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मानीटरी की रीति ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा "धारा 376क, 376ग, 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर धारा 10 द्वारा (16.08.2019 से) "धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 द्वारा (16.08.2019 से) अंत:स्थापित ।

[3] 2019 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 द्वारा (16.08.2019 से) खंड (क) को खंड (कख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया ।

हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

46. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों :

परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

निम्नलिखित के अधीन गठित सशस्त्र बल और सुरक्षा बल

(क) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45);

(ख) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46);

(ग) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47);

(घ) बंबई होमगार्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 3);

(ङ) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47);

(च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50);

(छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66);

(ज) तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30);

(झ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25);

(ञ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35);

(ट) नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62);

(ठ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34);

(ड) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47);

(ढ) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23);

(ण) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53);

(त) विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का 34);

(थ) प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56);

(द) राज्य के सिविल बलों की सहायता करने के लिए और आंतरिक अशांति के दौरान दलों को नियोजित करने के लिए या अन्यथा जिनके अंतर्गत सशस्त्र बल (विशष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित सशस्त्र बल भी हैं, राज्य विधियों के अधीन गठित राज्य पुलिस बल (जिनके अंतर्गत सशस्त्र कांस्टेबुलरी भी हैं) ।

THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Last update- 28-02-2023

CHAPTER I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

SEXUAL OFFENCES AGAINST CHILDREN

A.—PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

3. Penetrative sexual assault.
4. Punishment for penetrative sexual assault.

B.—AGGRAVATED PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

5. Aggravated penetrative sexual assault.
6. Punishment for aggravated penetrative sexual assault.

C.—SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

7. Sexual assault.
8. Punishment for sexual assault.

D.—AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

9. Aggravated sexual assault.
10. Punishment for aggravated sexual assault.

E.—SEXUAL HARASSMENT AND PUNISHMENT THEREFOR

11. Sexual harassment.
12. Punishment for sexual harassment.

CHAPTER III

USING CHILD FOR PORNOGRAPHIC PURPOSES AND PUNISHMENT THEREFOR

13. Use of child for pornographic purposes.
14. Punishment for using child for pornographic purposes.
15. Punishment for storage of pornographic material involving child.

CHAPTER IV

ABETMENT OF AND ATTEMPT TO COMMIT AN OFFENCE

16. Abetment of an offence.
17. Punishment for abetment.
18. Punishment for attempt to commit an offence.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR REPORTING OF CASES

SECTIONS

19. Reporting of offences.
20. Obligation of media, studio and photographic facilities to report cases.
21. Punishment for failure to report or record a case.
22. Punishment for false complaint or false information.
23. Procedure for media.

CHAPTER VI

PROCEDURES FOR RECORDING STATEMENT OF THE CHILD

24. Recording of statement of a child.
25. Recording of statement of a child by Magistrate.
26. Additional provisions regarding statement to be recorded.
27. Medical examination of a child.

CHAPTER VII

SPECIAL COURTS

28. Designation of Special Courts.
29. Presumption as to certain offences.
30. Presumption of culpable mental state.
31. Application of Code of Criminal Procedure, 1973 to proceedings before a Special Court.
32. Special Public Prosecutors.

CHAPTER VIII

PROCEDURE AND POWERS OF SPECIAL COURTS AND RECORDING OF EVIDENCE

33. Procedure and powers of Special Court.
34. Procedure in case of commission of offence by child and determination of age by Special Court.
35. Period for recording of evidence of child and disposal of case.
36. Child not to see accused at the time of testifying.
37. Trials to be conducted *in camera*.
38. Assistance of an interpreter or expert while recording evidence of child.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

39. Guidelines for child to take assistance of experts, etc.
40. Right of child to take assistance of legal practitioner.
41. Provisions of sections 3 to 13 not to apply in certain cases.
42. Alternative punishment.
42A. Act not in derogation of any other law.
43. Public awareness about Act.
44. Monitoring of implementation of Act.
45. Power to make rules.
46. Power to remove difficulties.

THE SCHEDULE.

THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

ACT NO. 32 OF 2012

[19*th June,* 2012.]

An Act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography and provide for establishment of Special Courts for trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS clause (3) of article 15 of the Constitution, *inter alia*, empowers the State to make special provisions for children;

AND WHEREAS, the Government of India has acceded on the 11th December, 1992 to the Convention on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all State parties in securing the best interests of the child;

AND WHEREAS it is necessary for the proper development of the child that his or her right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means and through all stages of a judicial process involving the child;

AND WHEREAS it is imperative that the law operates in a manner that the best interest and well being of the child are regarded as being of paramount importance at every stage, to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child;

AND WHEREAS the State parties to the Convention on the Rights of the Child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent—

*(a)*the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;

*(b)*the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;

*(c)*the exploitative use of children in pornographic performances and materials;

AND WHEREAS sexual exploitation and sexual abuse of children are heinous crimes and need to be effectively addressed.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(*1*) This Act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(2) It extends to the whole of India, [1]***.

(3) It shall come into force on such date[2] as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—***(1)*** In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "aggravated penetrative sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 5;

(b) "aggravated sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 9;

(c) "armed forces or security forces" means armed forces of the Union or security forces or police forces, as specified in the Schedule;

(d) "child" means any person below the age of eighteen years;

1. The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10-2019).
2. 14th November, 2012, *vide* notification No. S.O. 2705 (E), dated 9th November, 2012, *see* Gazette of India Extraordinary, Part II, sec. 3(*ii*).

[1][(*da*) "child pornography" means any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child which include photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child and image created, adapted, or modified, but appear to depict a child;]

(e) "domestic relationship" shall have the same meaning as assigned to it in clause (*f*) of section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (43 of 2005);

(f) "penetrative sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 3;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "religious institution" shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988).

(i) "sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 7;

(j) "sexual harassment" has the same meaning as assigned to it in section 11;

(k) "shared household" means a household where the person charged with the offence lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child;

(l) "Special Court" means a court designated as such under section 28;

(m) "Special Public Prosecutor" means a Public Prosecutor appointed under section 32.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), [2][the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016)] and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) shall have the meanings respectively assigned to them in the said Codes or the Acts.

CHAPTER II

SEXUAL OFFENCES AGAINST CHILDREN

A.—PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

3. Penetrative sexual assault.—A person is said to commit "penetrative sexual assault" if—

(*a*) he penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person; or

(*b*) he inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person; or

(*c*) he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person; or

(*d*) he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person.

4. Punishment for penetrative sexual assault.—[3][(*1*)] Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than [4][ten years] but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

[5][(*2*) Whoever commits penetrative sexual assault on a child below sixteen years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine.

(*3*) The fine imposed under sub-section (*1*) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim.]

1. Ins. by Act 25 of 2019, s. 2 (w.e.f. 16-08-2019).
2. Subs. by s. 2, *ibid*., for "the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000)" (w.e.f. 16-08-2019).
3. Section 4 renumbered as section 4(*1*) thereof by s. 3, *ibid* (w.e.f. 16-08-2019).
4. Subs. by s. 3, *ibid*., for "seven years" (w.e.f. 16-08-2019).
5. Ins. by s. 3, *ibid*. (w.e.f. 16-08-2019).

B.—AGGRAVATED PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

5. Aggravated penetrative sexual assault.—**(***a***)** Whoever, being a police officer, commits penetrative sexual assault on a child —

(*i*) within the limits of the police station or premises at which he is appointed; or

(*ii*) in the premises of any station house, whether or not situated in the police station, to which he is appointed; or

(*iii*) in the course of his duties or otherwise; or

(*iv*) where he is known as, or identified as, a police officer; or

(*b*) whoever being a member of the armed forces or security forces commits penetrative sexual assault on a child—

(*i*) within the limits of the area to which the person is deployed; or

(*ii*) in any areas under the command of the forces or armed forces; or

(*iii*) in the course of his duties or otherwise; or

(*iv*) where the said person is known or identified as a member of the security or armed forces; or

(*c*) whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child; or

(*d*) whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force, commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection; or

(*e*) whoever being on the management or staff of a hospital, whether Government or private, commits penetrative sexual assault on a child in that hospital; or

(*f*) whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits penetrative sexual assault on a child in that institution; or

(*g*) whoever commits gang penetrative sexual assault on a child.

Explanation.—When a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone; or

(*h*) whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance; or

(*i*) whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child; or

(*j*) whoever commits penetrative sexual assault on a child, which—

(*i*) physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (*l*) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks, temporarily or permanently; [1]***

(*ii*) in the case of female child, makes the child pregnant as a consequence of sexual assault;

(*iii*) inflicts the child with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or Infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally ill to perform regular tasks; [1]***

[2][(*iv*) causes death of the child; or]

1. The word "or" omitted by Act 25 of 2019, s. 4 (w.e.f. 16-08-2019).
2. Ins. by s. 4, *ibid* (w.e.f. 16-08-2019).

(*k*) whoever, taking advantage of a child's mental or physical disability, commits penetrative sexual assault on the child; or

(*l*) whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly; or

(*m*) whoever commits penetrative sexual assault on a child below twelve years; or

(*n*) whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with a parent of the child or who is living in the same or shared household with the child, commits penetrative sexual assault on such child; or

(*o*) whoever being, in the ownership, or management, or staff, of any institution providing services to the child, commits penetrative sexual assault on the child; or

(*p*) whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else; or

(*q*) whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant; or

(*r*) whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child; or

(*s*) whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of [1][communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations]; or

(*t*) whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or

(*u*) whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public,

is said to commit aggravated penetrative sexual assault.

[2]**[6. Punishment for aggravated penetrative sexual assault**.—(*1*) Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine, or with death.

(*2*) The fine imposed under sub-section (*1*) shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim.]

C. —SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

7. Sexual assault.—Whoever, with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault.

8. Punishment for sexual assault.—Whoever, commits sexual assault, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

D. —AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

9. Aggravated sexual assault.—(*a*) Whoever, being a police officer, commits sexual assault on a child—

(*i*) within the limits of the police station or premises where he is appointed; or

(*ii*) in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed; or

(*iii*) in the course of his duties or otherwise; or

1. Subs. by Act 25 of 2019, s. 4, for "communal or sectarian violence" (w.e.f. 16-08-2019).
2. Subs. by s. 5, *ibid*., for section 6 (w.e.f. 16-08-2019).

(*iv*) where he is known as, or identified as a police officer; or

(*b*) whoever, being a member of the armed forces or security forces, commits sexual assault on a child—

(*i*) within the limits of the area to which the person is deployed; or

(*ii*) in any areas under the command of the security or armed forces; or

(*iii*) in the course of his duties or otherwise; or

(*iv*) where he is known or identified as a member of the security or armed forces; or

(*c*) whoever being a public servant commits sexual assault on a child; or

(*d*) whoever being on the management or on the staff of a jail, or remand home or protection home or observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force commits sexual assault on a child being inmate of such jail or remand home or protection home or observation home or other place of custody or care and protection; or

(*e*) whoever being on the management or staff of a hospital, whether Government or private, commits sexual assault on a child in that hospital; or

(*f*) whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits sexual assault on a child in that institution; or

(*g*) whoever commits gang sexual assault on a child.

Explanation.—when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang sexual assault within the meaning of this clause and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone; or

(*h*) whoever commits sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance; or

(*i*) whoever commits sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child; or

(*j*) whoever commits sexual assault on a child, which—

(*i*) physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (*l*) of section 2of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987) or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks, temporarily or permanently; or

(*ii*) inflicts the child with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally ill to perform regular tasks; or

(*k*) whoever, taking advantage of a child's mental or physical disability, commits sexual assault on the child; or

(*l*) whoever commits sexual assault on the child more than once or repeatedly; or

(*m*) whoever commits sexual assault on a child below twelve years; or

(*n*) whoever, being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care, or having domestic relationship with a parent of the child, or who is living in the same or shared household with the child, commits sexual assault on such child; or

(*o*) whoever, being in the ownership or management or staff, of any institution providing services to the child, commits sexual assault on the child in such institution; or

(*p*) whoever, being in a position of trust or authority of a child, commits sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else; or

(*q*) whoever commits sexual assault on a child knowing the child is pregnant; or

(*r*) whoever commits sexual assault on a child and attempts to murder the child; or

(*s*) whoever commits sexual assault on a child in the course of [1][communal or sectarian violence or during any natural calamity or in any similar situations]; or

(*t*) whoever commits sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or

(*u*) whoever commits sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public;

[2][(*v*) whoever persuades, induces, entices or coerces a child to get administered or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance, to a child with the intent that such child attains early sexual maturity,]

is said to commit aggravated sexual assault.

10. Punishment for aggravated sexual assault.—Whoever, commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

E.—SEXUAL HARASSMENT AND PUNISHMENT THEREFOR

11. Sexual harassment.—A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent,—

(*i*) utters any word or makes any sound, or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard, or such gesture or object or part of body shall be seen by the child; or

(*ii*) makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person; or

(*iii*) shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes; or

(*iv*) repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means; or

(*v*) threatens to use, in any form of media, a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other mode, of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act; or

(*vi*) entices a child for pornographic purposes or gives gratification therefor.

Explanation.—Any question which involves "sexual intent" shall be a question of fact.

12. Punishment for sexual harassment.—Whoever, commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

CHAPTER III

USING CHILD FOR PORNOGRAPHIC PURPOSES AND PUNISHMENT THEREFOR

13. Use of child for pornographic purposes.—Whoever, uses a child in any form of media (including programme or advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such programme or advertisement is intended for personal use or for distribution), for the purposes of sexual gratification, which includes—

(*a*) representation of the sexual organs of a child;

(*b*) usage of a child engaged in real or simulated sexual acts (with or without penetration);

(*c*) the indecent or obscene representation of a child,

shall be guilty of the offence of using a child for pornographic purposes.

1. Subs. by Act 25 of 2019, s. 6, for "communal or sectarian violence" (w.e.f. 16-08-2019).
2. Ins. by s. 6, *ibid*. (w.e.f. 16-08-2019).

Explanation.—For the purposes of this section, the expression ''use a child'' shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material.

[1][**14. Punishment for using child for pornographic purposes**.—(*1*) Whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than five years and shall also be liable to fine and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which shall not be less than seven years and also be liable to fine.

(*2*) Whoever using a child or children for pornographic purposes under sub-section (*1*), commits an offence referred to in section 3 or section 5 or section 7 or section 9 by directly participating in such pornographic acts, shall be punished for the said offences also under section 4, section 6, section 8 and section 10, respectively, in addition to the punishment provided in sub-section (*1*).]

[2]**[15. Punishment for storage of pornographic material involving child**.—(*1*) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child, but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority, as may be prescribed, with an intention to share or transmit child pornography, shall be liable to fine not less than five thousand rupees and in the event of second or subsequent offence, with fine which shall not be less than ten thousand rupees.

(*2*) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting, as may be prescribed, or for use as evidence in court, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years, or with fine, or with both.

(*3*) Any person, who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for commercial purpose shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description which shall not be less than three years which may extend to five years, or with fine, or with both and in the event of second or subsequent conviction, with imprisonment of either description which shall not be less than five years which may extend to seven years and shall also be liable to fine.]

CHAPTER IV

ABETMENT OF AND ATTEMPT TO COMMIT AN OFFENCE

16. Abetment of an offence.—A person abets an offence, who—

First.—Instigates any person to do that offence; or

Secondly.— Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offence, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that offence; or

Thirdly.—Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that offence.

Explanation I.—A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact, which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure a thing to be done, is said to instigate the doing of that offence.

Explanation II.—Whoever, either prior to or at the time of commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act.

Explanation III.—Whoever employ, harbours, receives or transports a child, by means of threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position, vulnerability or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of any offence under this Act, is said to aid the doing of that act.

1. Subs. by Act 25 of 2019, s. 7, for section 14 (w.e.f. 16-08-2019).
2. Subs. by s. 8, *ibid*., for section 15 (w.e.f. 16-08-2019).

17. Punishment for abetment.—Whoever abets any offence under this Act, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punished with punishment provided for that offence.

Explanation.— An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy or with the aid, which constitutes the abetment.

18. Punishment for attempt to commit an offence.—Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or to cause such an offence to be committed, and in such attempt, does any act towards the commission of the offence, shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for a term which may extend to one half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with fineor with both.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR REPORTING OF CASES

19. Reporting of offences.—(*1***)** Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of1974)any person(including the child), who has apprehension that an offence under this Act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to,—

(*a*) the Special Juvenile Police Unit; or

(*b*) the local police.

(*2*) Every report given under sub-section (*1*) shall be—

(*a*) ascribed an entry number and recorded in writing;

(*b*) be read over to the informant;

(*c*) shall be entered in a book to be kept by the Police Unit.

(*3*) Where the report under sub-section (*1*) is given by a child, the same shall be recorded under sub-section (*2*) in a simple language so that the child understands contents being recorded.

(*4*) In case contents are being recorded in the language not understood by the child or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, shall be provided to the child if he fails to understand the same.

(*5*) Where the Special Juvenile Police Unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then, it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital within twenty-four hours of the report, as may be prescribed.

(*6*) The Special Juvenile Police Unit or local police shall, without unnecessary delay but within a period of twenty-four hours, report the matter to the Child Welfare Committee and the Special Court or where no Special Court has been designated, to the Court of Session, including need of the child for care and protection and steps taken in this regard.

(*7*) No person shall incur any liability, whether civil or criminal, for giving the information in good faith for the purpose of sub-section (*1*).

20. Obligation of media, studio and photographic facilities to report cases.—Any personnel of the media or hotel or lodge or hospital or club or studio or photographic facilities, by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child (including pornographic, sexually-related or making obscene representation of a child or children) through the use of any medium, shall provide such information to the Special Juvenile Police Unit, or to the local police, as the case may be.

21. Punishment for failure to report or record a case.—(*1***)** Any person, who fails to report the commission of an offence under sub-section (*1*) of section 19 or section 20 or who fails to record such

offence under sub-section (*2*) of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to six months or with fine or with both.

(*2*) Any person, being in-charge of any company or an institution (by whatever name called) who fails to report the commission of an offence under sub-section (*1*) of section 19 in respect of a subordinate under his control, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine.

(*3*) The provisions of sub-section (*1*) shall not apply to a child under this Act.

22. Punishment for false complaint or false information.—(*1*) Any person, who makes false complaint or provides false information against any person, in respect of an offence committed under sections 3, 5, 7 and section 9, solely with the intention to humiliate, extort or threaten or defame him, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(*2*) Where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child.

(*3*) Whoever, not being a child, makes a false complaint or provides false information against a child, knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offences under this Act, shall be punished with imprisonment, which may extend to one year or with fine or with both.

23. Procedure for media.—(*1*) No person shall make any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information, which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy.

(*2*) No reports in any media shall disclose, the identity of a child including his name, address, photograph, family details, school, neighbourhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity of the child:

Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court, competent to try the case under the Act, may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.

(*3*) The publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the acts and omissions of his employee.

(*4*) Any person who contravenes the provisions of sub-section (*1*) or sub-section (*2*) shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.

CHAPTER VI

PROCEDURES FOR RECORDING STATEMENT OF THE CHILD

24. Recording of statement of a child.—(*1*) The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides or at the place of his choice and as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub-inspector.

(*2*) The police officer while recording the statement of the child shall not be in uniform.

(*3*) The police officer making the investigation, shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come in the contact in any way with the accused.

(*4*) No child shall be detained in the police station in the night for any reason.

(*5*) The police officer shall ensure that the identity of the child is protected from the public media, unless otherwise directed by the Special Court in the interest of the child.

25. Recording of statement of a child by Magistrate.—(*1*) If the statement of the child is being recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)(herein referred to as the Code), the Magistrate recording such statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child:

Provided that the provisions contained in the first proviso to sub-section (*1*) of section 164 of the Code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case.

(*2*) The Magistrate shall provide to the child and his parents or his representative, a copy of the document specified under section 207 of the Code, upon the final report being filed by the police under section 173 of that Code.

26. Additional provisions regarding statement to be recorded.—(*1*) The Magistrate or the police officer, as the case may be, shall record the statement as spoken by the child in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence.

(*2*) Wherever necessary, the Magistrate or the police officer, as the case may be, may take the assistance of a translator or an interpreter, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the statement of the child.

(*3*) The Magistrate or the police officer, as the case may be, may, in the case of a child having a mental or physical disability, seek the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, to record the statement of the child.

(*4*) Wherever possible, the Magistrate or the police officer, as the case may be, shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio-video electronic means.

27. Medical examination of a child.—(*1*) The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First Information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act, be conducted in accordance with section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973).

(*2*) In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor.

(*3*) The medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.

(*4*) Where, in case the parent of the child or other person referred to in sub-section (3) cannot be present, for any reason, during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution.

CHAPTER VII

SPECIAL COURTS

28. Designation of Special Courts.—(*1*) For the purposes of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, designate for each district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Act:

Provided that if a Court of Session is notified as a children's court under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006)or a Special Court designated for similar purposes under any other law for the time being in force, then, such court shall be deemed to be a Special Court under this section.

(*2*) While trying an offence under this Act, a Special Court shall also try an offence [other than the offence referred to in sub-section (*1*)], with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) be charged at the same trial.

(*3*) The Special Court constituted under this Act, notwithstanding anything in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)shall have jurisdiction to try offences under section 67B of that Act in so far as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act, or conduct or manner or facilitates abuse of children online.

29. Presumption as to certain offences.—Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and section 9 of this Act, the Special Court shall presume, that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be unless the contrary is proved.

30. Presumption of culpable mental state.—(*1*) In any prosecution for any offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the Special Court shall presume the

existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

(*2*) For the purposes of this section, a fact is said to be proved only when the Special Court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

Explanation.—In this section, "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact and the belief in, or reason to believe, a fact.

31. Application of Code of Criminal Procedure, 1973 to proceedings before a Special Court.— Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)(including the provisions as to bail and bonds)shall apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the said provisions, the Special Court shall be deemed to be a court of Sessions and the person conducting a prosecution before a Special Court, shall be deemed to be a Public Prosecutor.

32. Special Public Prosecutors.—(*1***)** The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Special Public Prosecutor for every Special Court for conducting cases only under the provisions of this Act.

(*2*) A person shall be eligible to be appointed as a Special Public Prosecutor under sub-section (*1*) only if he had been in practice for not less than seven years as an advocate.

(*3*) Every person appointed as a Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (*u*) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)and provision of that Code shall have effect accordingly.

CHAPTER VIII

PROCEDURE AND POWERS OF SPECIAL COURTS AND RECORDING OF EVIDENCE

33. Procedure and powers of Special Court.—(*1*) A Special Court may take cognizance of any offence, without the accused being committed to it for trial, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, or upon a police report of such facts.

(*2*) The Special Public Prosecutor, or as the case may be, the counsel appearing for the accused shall, while recording the examination-in-chief, cross-examination or re-examination of the child, communicate the questions to be put to the child to the Special Court which shall in turn put those questions to the child.

(*3*) The Special Court may, if it considers necessary, permit frequent breaks for the child during the trial.

(*4*) The Special Court shall create a child-friendly atmosphere by allowing a family member, a guardian, a friend or a relative, in whom the child has trust or confidence, to be present in the court.

(*5*) The Special Court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court.

(*6*) The Special Court shall not permit aggressive questioning or character assassination of the child and ensure that dignity of the child is maintained at all times during the trial.

(*7*) The Special Court shall ensure that the identity of the child is not disclosed at any time during the course of investigation or trial:

Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the identity of the child shall include the identity of the child's family, school, relatives, neighbourhood or any other information by which the identity of the child may be revealed.

(*8*) In appropriate cases, the Special Court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child.

(*9*) Subject to the provisions of this Act, a Special Court shall, for the purpose of the trial of any offence under this Act, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Session, and as far as may be, in accordance with the procedure specified in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) for trial before a Court of Session.

34. Procedure in case of commission of offence by child and determination of age by Special Court.—(*1*) Where any offence under this Act is committed by a child, such child shall be dealt with under the provisions of [1][the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016)].

(*2*) If any question arises in any proceeding before the Special Court whether a person is a child or not, such question shall be determined by the Special Court after satisfying itself about the age of such person and it shall record in writing its reasons for such determination.

(*3*) No order made by the Special Court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of a personas determined by it under sub-section (*2*) was not the correct age of that person.

35. Period for recording of evidence of child and disposal of case.—(1) The evidence of the child shall be recorded within a period of thirty days of the Special Court taking cognizance of the offence and reasons for delay, if any, shall be recorded by the Special Court.

(*2*) The Special Court shall complete the trial, as far as possible, within a period of one year from the date of taking cognizance of the offence.

36. Child not to see accused at the time of testifying.—(*1*) The Special Court shall ensure that the child is not exposed in anyway to the accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate.

(*2*) For the purposes of sub-section (*1*), the Special Court may record the statement of a child through video conferencing or by utilising single visibility mirrors or curtains or any other device.

37. Trials to be conducted *in camera*.—The Special Court shall try cases *in camera* and in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence:

Provided that where the Special Court is of the opinion that the child needs to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a commission in accordance with the provisions of section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

38. Assistance of an interpreter or expert while recording evidence of child.—(1) wherever necessary, the Court may take the assistance of a translator or interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the evidence of the child.

(*2*) If a child has a mental or physical disability, the Special Court may take the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed to record the evidence of the child.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

39. Guidelines for child to take assistance of experts, etc.—Subject to such rules as may be made in this behalf, the State Government shall prepare guidelines for use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child.

1. Subs. by Act 25 of 2019, s. 9, for "the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000)" (w.e.f. 16-08-2019).

40. Right of child to take assistance of legal practitioner.—Subject to the proviso to section 301 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)the family or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice for any offence under this Act:

Provided that if the family or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, the Legal Services Authority shall provide a lawyer to them.

41.Provisions of sections 3 to 13 not to apply in certain cases.—The provisions of sections 3 to 13 (both inclusive) shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian.

[1]**[42. Alternate punishment.**—Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under sections 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, [2][376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB], [3][376E, section 509 of the Indian Penal Code or section 67B of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000)], then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under this Act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree.

STATE AMENDMENT

Arunachal Pradesh

Amendment of section 42.—In section 42 of the Protection of Children Act, 2012 for the words figures and letters sections 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C, 376D, 376E or section 509 of the Indian Penal Code the words figures and letters sections 166A 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376AA, 376C, 376D, 376DA, 376E or section 509 of the Indian Penal Code shall be substituted.

[*Vide* Arunachal Pradesh Act 3 of 2019, s. 26]

42A. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency.]

43. Public awareness about Act.—The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that—

(*a*) the provisions of this Act are given wide publicity through media including the television, radio and the print media at regular intervals to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of this Act;

(*b*) the officers of the Central Government and the State Governments and other concerned persons (including the police officers) are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of the Act.

44. Monitoring of implementation of Act.—(*1*) The National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3, or as the case may be, the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17, of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006) shall, in addition to the functions assigned to them under that Act, also monitor the implementation of the provisions of this Act in such manner as may be prescribed.

(*2*) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, referred to in sub-section (*1*), shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this Act, have the same powers as are vested in it under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006).

(*3*) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, referred to in sub-section (*1*), shall, also include, its activities under this section, in the annual report referred to in section 16 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006).

1. Subs. by Act 13 of 2013, s. 29, for s. 42 (w.e.f. 3-2-2013).
2. Subs. by Act 22 of 2018, s. 25, for "376A, 376C, 376D" (w.e.f. 21-4-2018).
3. Subs. by Act 25 of 2019, s. 10, for "376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860)" (w.e.f. 16-08-2019).

45. Power to make rules.—(*1***)** The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

[1][(*a*) the manner of deleting or destroying or reporting about pornographic material in any form involving a child to the designated authority under sub-section (*1*) of section 15;

(*aa*) the manner of reporting about pornographic material in any form involving a child under sub-section (*2*) of section 15;]

[2][(*ab*)] the qualifications and experience of, and the fees payable to, a translator or an interpreter, a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, under sub-section (*4*) of section 19; sub-sections(*2*) and (*3*) of section 26 and section 38;

(*b*) care and protection and emergency medical treatment of the child under sub-section (*5*) of section 19;

(*c*) the payment of compensation under sub-section (*8*) of section 33;

(*d*) the manner of periodic monitoring of the provisions of the Act under sub-section (*1*) of section44.

(*3*) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

46. Power to remove difficulties.—(*1*) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.

(*2*) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

1. Ins. by Act 25 of 2019, s. 11 (w.e.f. 16-08-2019).
2. Clause (*a*) re-lettered as clause (*ab*) thereof by Act 25 of 2019, s. 11 (w.e.f. 16-08-2019).

THE SCHEDULE

[*See* section 2(*c*)]

ARMED FORCES AND SECURITY FORCES CONSTITUTED UNDER

(*a*) The Air Force Act, 1950 (45 of 1950);

(*b*) The Army Act, 1950 (46 of 1950);

(*c*) The Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006);

(*d*) The Bombay Home Guard Act, 1947 (3 of 1947);

(*e*) The Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968);

(*f*) The Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968);

(*g*) The Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949);

(*h*) The Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978);

(*i*) The Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946);

(*j*) The Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992);

(*k*) The Navy Act, 1957 (62 of 1957);

(*l*) The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008);

(*m*) The National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986);

(*n*) The Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957);

(*o*) The Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007);

(*p*) The Special Protection Group Act, 1988 (34 of 1988);

(*q*) The Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948);

(*r*) The State police forces (including armed constabulary) constituted under the State laws to aid the civil powers of the State and empowered to employ force during internal disturbances or otherwise including armed forces as defined in clause (*a*) of section 2 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958).